DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

9 September, 2024

टील कार्बन (Teal carbon)

संदर्भ: *केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टील कार्बन का अध्ययन किया गया जो जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण को रेखांकित करता है।*

➢ **अवलोकन:**

- भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी), राजस्थान में किया गया।
- इस शोध में जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- प्रारंभिक परिणामों से पता चला कि केएनपी में मीथेन उत्सर्जन बढ़ा है।
- वैश्विक स्तर पर, पीटलैंड, दलदलों और दलदली भूमि में टील कार्बन का भंडारण कुल 500.21 पेटाग्राम है।

टील कार्बन गैर-ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है । इसमें निम्न में संग्रहीत कार्बन शामिल है:

  - **वनस्पति** : जलीय और अर्ध-जलीय पौधों का बायोमास।
  - **माइक्रोबियल बायोमास** : मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों में कार्बन।
  - **कार्बनिक पदार्थ** : जल एवं तलछट में घुले एवं कणिकीय कार्बनिक कार्बन।
- **जलवायु परिवर्तन में भूमिका** :
  - **कार्बन पृथक्करण** : आर्द्रभूमियाँ बड़ी मात्रा में कार्बन को संग्रहित करती हैं, जिससे वायुमंडलीय CO_2 में कमी आती है।
  - **मीथेन उत्सर्जन** : आर्द्रभूमियाँ मीथेन (CH_4) का स्रोत हैं, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, इसलिए, प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

➢ **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) अध्ययन**

- **स्थान** : भरतपुर, राजस्थान।
- **उद्देश्य** : जलवायु शमन में टील कार्बन की क्षमता का मूल्यांकन करना और आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए प्रकृति-आधारित समाधान विकसित करना।
- **निष्कर्ष** :
  - **मीथेन उत्सर्जन** : इससे मीथेन उत्सर्जन के उच्च स्तर का पता चला है।
  - **बायोचार अनुप्रयोग(Biochar Application)** : विशेषीकृत बायोचार, जो एक कार्बन समृद्ध पदार्थ है, के उपयोग से आर्द्रभूमि से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है।

➢ **आर्द्रभूमि क्षरण के कारक**

- **प्रदूषण** : कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट से होने वाला प्रदूषण।
- **भूमि उपयोग परिवर्तन** : कृषि या शहरी विकास के लिए आर्द्रभूमि का रूपांतरण।
- **जल निष्कर्षण** : अत्यधिक जल निष्कर्षण से जल स्तर और पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- **भूदृश्य संशोधन** : प्राकृतिक जल प्रवाह और आवास संरचना में परिवर्तन।
- **परिणाम** : क्षीण होती आर्दभूमियाँ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत बन सकती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी अधिक बढ़ सकता है।

➢ **वैश्विक टील कार्बन भंडारण**

- **अनुमान** : वैश्विक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग 500.21 पेटाग्राम कार्बन (पीजीसी) संग्रहित है।
  - **पीटलैंड** : टील कार्बन का प्रमुख भंडारण स्थल, जहां हजारों वर्षों से कार्बन जमा हो रहा है।
  - **मीठे पानी के दलदल**: यह वैश्विक टील कार्बन भंडार में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

➢ **संरक्षण और प्रबंधन रणनीतियाँ**

- **तत्काल कार्रवाई** :
  - **संरक्षण** : आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को क्षरण से बचाने के लिए उपायों को लागू करना।
  - **प्रबंधन** : टील कार्बन भंडारण को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए संरक्षण प्रथाओं को एकीकृत करना।
  - **बायोचार विकास** : आर्द्रभूमि से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को प्रबंधित करने के लिए बायोचार पर अनुसंधान और उसका अनुप्रयोग।
- **मापन उपकरण** :
  - **LI-COR डिवाइस** : CO_2 और CH_4 जैसी ग्रीनहाउस गैसों की वास्तविक समय माप के लिए उपयोग किया जाता है।

➢ **वर्तमान गतिविधि**

- **आईयूएफआरओ विश्व सम्मेलन** : अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन संघ (आईयूएफआरओ) के विश्व सम्मेलन, स्टॉकहोम में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया।
- **चर्चा के बिंदु** :
  - कार्बन भंडारण को बढ़ाने के लिए संरक्षण और पुनर्स्थापन की रणनीतियाँ।
  - टील कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।

ब्लैक कार्बन: अपूर्ण दहन (जैसे, जंगल की आग, जीवाश्म ईंधन) से उत्पन्न कार्बन, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है।
ब्राउन कार्बन: दहन प्रक्रियाओं से उत्पन्न कार्बनयुक्त पदार्थ, जो जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित करता है।

संसदीय समिति

संदर्भ: *जनगणना में देरी की चिंताओं के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय संसदीय समिति को भंग कर दिया।*

➢ **अवलोकन:**

- केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने 14 सदस्यीय संसदीय समिति को भंग कर दिया है। जनगणना में देरी की चिंताओं पर प्रणब सेन की अध्यक्षता वाली सांख्यिकी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के लिए नई संचालन समिति के साथ कार्य में अतिव्यापन के कारण समिति को भंग कर दिया गया।

➢ **संसदीय समितियाँ**

- **परिभाषा** : यह सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत संसद सदस्यों (एमपी) का पैनल है।
- **कार्य** : अध्यक्ष या सभापति के निर्देश के अधीन कार्य करना तथा सदन या अध्यक्ष/सभापति को निष्कर्षों की रिपोर्ट देना।
- **उत्पत्ति** : ब्रिटिश संसद से प्रेरित।
- **अधिकार** :
  - **अनुच्छेद 105** : सांसदों के विशेषाधिकार।
  - **अनुच्छेद 118** : संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

संसदीय समितियों की आवश्यकता

- **विधायी प्रक्रिया** : विधायी कार्य शुरू करने के लिए विधेयक पेश किए जाते हैं, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया जटिल है और संसद के पास विस्तृत चर्चा के लिए सीमित समय होता है।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण** : बढ़ता ध्रुवीकरण कटु एवं अनिर्णायक बहस को जन्म देता है।
- **समिति की भूमिका** : इन मुद्दों के कारण अधिकांश विधायी कार्य समितियों में संचालित होते हैं।

संसदीय समितियों के प्रकार

- **स्थायी समितियाँ** :यह स्थायी और निरंतर आधार पर कार्य करती हैं। प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर यह गठित की जाती हैं।
- **वित्तीय समितियाँ** :
  - **लोक लेखा समिति (पीएसी)**
  - **सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू)**
  - **अनुमान समिति**
- **विभागीय स्थायी समितियाँ** : विशिष्ट सरकारी विभागों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- **जाँच समितियाँ** : विशिष्ट मुद्दों या घटनाओं की जाँच करना।
- **जांच और नियंत्रण के लिए समितियां** : सरकार के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करना।
- **सदन के दिन-प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां** :
  - व्यापार सलाहकार समिति
  - नियम समिति
- **गृह व्यवस्था समितियां या सेवा समितियां** :
  - सदन समिति
  - पुस्तकालय समिति
- **तदर्थ समितियाँ** : अस्थायी तथा कार्य पूरा हो जाने पर समाप्त हो जाती हैं।
- **जांच समितियां** :
  - **प्रवर समितियाँ** : विशिष्ट विधेयकों या मुद्दों की जांच करना।
  - **संयुक्त समितियाँ** : विधेयकों की जांच करने के लिए संसद के दोनों सदनों से गठित की जाती है।
- **सलाहकार समितियाँ** : सिफारिशें और सलाह देना।

संसदीय समितियों का महत्व

- **विधायी विशेषज्ञता प्रदान करना** :
  - सांसदों के पास अक्सर विशेष ज्ञान की कमी होती है। समितियां विस्तृत जांच और विशेषज्ञ परामर्श देती हैं।
- **लघु संसद के रूप में कार्य करना** :
  - समितियों में विभिन्न दलों के सांसदों को उनकी संसदीय संख्या के अनुपात में शामिल किया जाता है, जो एक लघु संसदीय व्यवस्था को दर्शाता है।
- **विस्तृत जांच के लिए उपकरण** :
  - विधेयकों की विस्तार से जांच की जाती है तथा बाहरी हितधारकों और जनता से फीडबैक एकत्र किया जाता है।
- **सरकार पर नकेल कसता है** :
  - समिति की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन वे एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाती हैं और सरकार के निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव डाल सकती हैं।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी'

***संदर्भ**: प्रधानमंत्री की हालिया ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा "एक्ट ईस्ट" नीति में भारत की रणनीतिक प्रगति को उजागर करती है।*

अवलोकन:

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की हालिया यात्राएं भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती हैं, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया में रणनीतिक भागीदारी पर जोर दिया गया है।
- चर्चा में रक्षा और भू-रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई तथा ब्रुनेई में इसरो स्टेशन के माध्यम से अंतरिक्ष सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया।
- यह यात्रा सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग पर केंद्रित थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में सिंगापुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

एक्ट ईस्ट नीति (एईपी) को पूर्ववर्ती लुक ईस्ट नीति (एलईपी) के उन्नयन के रूप में नवंबर 2014 में प्रस्तुत किया गया था।

उद्देश्य और लक्ष्य

- **आर्थिक सहयोग:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाना।
- **सांस्कृतिक संबंध:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना।
- **सामरिक संबंध:** सम्बंधित क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत सामरिक साझेदारी विकसित करना।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का विकास:** दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार करना।

पूर्व की ओर देखो नीति (1992)

- **पृष्ठभूमि:** चीन के प्रभाव को संतुलित करने तथा रणनीतिक साझेदार के रूप में सोवियत संघ की हानि से उबरने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा इसकी शुरूआत की गई थी।
- **लक्ष्य:** दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के साथ आर्थिक रूप से एकीकृत करना।
- **मील के पत्थर:**
  - **संवाद साझेदार:** भारत 1996 में आसियान का संवाद साझेदार बना।
  - **रणनीतिक साझेदारी:** 2012 में इसे रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया।
  - **व्यापार वृद्धि:** भारत के वैश्विक व्यापार में 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ आसियान भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है। वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी (2014)

- **लक्ष्य में वृद्धि:**
  - इसका दायरा आसियान से आगे बढ़ाकर पूर्वी एशियाई देशों को इसमें शामिल किया गया है।
  - नीतिगत ढांचे में सुरक्षा सहयोग को एकीकृत किया गया है।

- **एक्ट ईस्ट नीति के 4सी:**
  - **संस्कृति:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना।
  - **वाणिज्य:** आर्थिक संबंधों और व्यापार संबंधों को मजबूत करना।
  - **कनेक्टिविटी:** भौतिक और बौद्धिक आवागमन में सुधार करना।
  - **क्षमता निर्माण:** विकास परियोजनाओं को समर्थन देना और क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ाना देना।

सुरक्षा आयाम: विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों का समाधान करना तथा क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद और सहयोग में शामिल होना।

➢ **कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रमुख पहल**

- **अगरतला-अखौरा रेल लिंक:**
  - **उद्देश्य:** भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क में सुधार करना।
- **अंतरमॉडल परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग:**
  - **परियोजनाएँ:** परिवहन संपर्क विकसित करना तथा बांग्लादेश के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करना।
- **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना:**
  - **उद्देश्य:** भारत के पूर्वोत्तर को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ना।
- **त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना:**
  - **उद्देश्य:** भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच सड़क संपर्क बढ़ाना।
- **भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम (स्थापना 2017):**
  - **सहयोग:** सड़क, पुल और जलविद्युत आधुनिकीकरण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - **मंच:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति और जापान की स्वतंत्र एवं खुली हिंद-प्रशांत रणनीति के बीच सहयोग को सुगम बनाता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

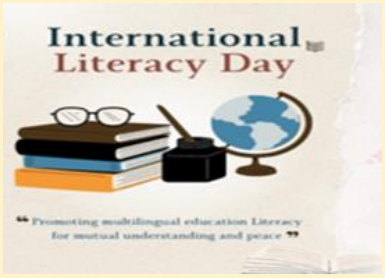

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (ILD) 1967 में अपनी स्थापना के बाद से हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है।
- 2024 का थीम है "बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना: आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता।"
- इस दिन की घोषणा सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने की थी।
- इसका उद्देश्य अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज बनाने के लिए साक्षरता के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- 2022 तक, लगभग 754 मिलियन वयस्कों (7 में से 1) में बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी थी, और 250 मिलियन बच्चे (6-18 वर्ष की आयु के) स्कूल से बाहर थे, जो वैश्विक साक्षरता चुनौती का संकेत देता है।
- वैश्विक उत्सव 9-10 सितंबर 2024 को कैमरून के याउंडे में होगा, और इसमें एक वैश्विक सम्मेलन और यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार समारोह शामिल होगा।

सेमीकॉन इंडिया

हाल ही में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि वह 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगी।

सेमीकॉन इंडिया के बारे में:

- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम विकसित करना है।
- इस कार्यक्रम को 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
- सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को ऊपर उठाना और देश को उद्योग में एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।
- सेमीकॉन इंडिया 2024 इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रोनिका इंडिया के साथ आयोजित किया जाएगा, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मेले हैं।
- इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेमी, मेसे मुएनचेन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है।

खाड़ी सहयोग परिषद

विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 9 सितंबर को रियाद में पहली भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे।

खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में:

- खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित छह अरब देशों का एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना मई 1981 में सऊदी अरब के रियाद में हुई थी और तब से हर साल इसकी शिखर बैठक होती रही है।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसमें दो परिषदें शामिल हैं: सर्वोच्च परिषद, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं और जो प्रतिवर्ष बैठक करके सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं तथा मंत्रिस्तरीय परिषद, जिसमें विदेश मंत्री शामिल होते हैं, नीतियों को विकसित करने तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करते हैं।
- इसने कई पहल शुरू की हैं, जिनमें 2008 में एक साझा बाजार तथा 1992 में एक पेटेंट कार्यालय की स्थापना शामिल है।
- खाड़ी सहयोग परिषद सचिवालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है।

जीएसटी परिषद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 9 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी।

जीएसटी परिषद के बारे में:

- जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279ए (1) के तहत संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा की गई है।
- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279ए (1) के अनुसार, जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 279ए के लागू होने के 60 दिनों के भीतर किया जाना है।
- यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्य सरकारों को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कर दरें, छूट, सीमा सीमा और मॉडल जीएसटी कानून शामिल हैं।
- परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
- अनुच्छेद 279ए (5) के अनुसार परिषद पेट्रोलियम उत्पादों और विमानन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाने की तारीख की सिफारिश करती है।
- अनुच्छेद 279ए (8) परिषद के कार्यों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 279ए (11) परिषद की सिफारिशों से उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए तंत्र स्थापित करता है।
- जीएसटी परिषद की पिछली बैठक इस साल जून में हुई थी, जिसमें परिषद ने सभी स्टील, लोहा और एल्युमीनियम दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत जीएसटी की एक समान दर की सिफारिश की थी।

POINTS TO PONDER

- आईयूएफआरओ विश्व सम्मेलन में निष्कर्ष कहां प्रस्तुत किए गए? – **स्टॉकहोम, स्वीडन**
- युद्ध अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? – **संयुक्त राज्य अमेरिका**
- नाटो संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? – **1949**
- आर्याना सबालेंका किस खेल से संबंधित हैं? – **टेनिस**
- बाह्य अंतरिक्ष संधि कब बनाई गई थी? – **1967**